

प्रेषक,
 अनिल कुमार बाजपेयी,
 विशेष सचिव,
 ३०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
 राज्य नगरीय विकास अभियान,
 ३०प्र०, लखनऊ।
 नगरीय रोजगार एवं गरीबी
 उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकासित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर की 14 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-5257/69/10/छ./विविध/2017-18, दिनांक 23.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकासित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" में उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नानुसार योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपण अनुपालन करते हुए की जायेगी।

- उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नानुसार योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नानुसार योजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 से चर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूड़ा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूड़ा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित भद्र में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
- उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नानुसार योजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः.....2

कामकुम्भ अध्यात्मीय मील पर। A.E

fc | एक पूर्ण AF को

10/12/18

5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना/आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।
6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय वित्तीयमों के अनुसार किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजन की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण-इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विवृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को झाँट की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तीयों का विकास-051-लिमाण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० पत्र संख्या-ई-9-1095/दस-2018, दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक - यथोक्ता।

भागीय
15/11/19
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-634 / 2018/623(1)/69-1-18, तिदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०,२० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
5. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सिद्धार्थनगर।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. नियोजन अनुभाग-५, ३०प्र० शासन।
9. मुख्य कोषाधीकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. विल्ल नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

प्रियामन्त्र
शासनादेश संख्या- ६३५ /2018/623(1)/69-1-18-87(मु030-37)/2018, दिनांक १७ वक्तव्यर
2018 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किशत (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	सिद्धार्थनगर	न०पा०प०, सिद्धार्थनगर	मो० कृष्णानगर में शिव मंदिर से पारस के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली (क०सी०) निर्माण कार्य।	2.88	1.44
2.	तदैव	तदैव	मो० कृष्णानगर में अयोध्या प्रसाद के घर से भलू के मकान होते हुए जान मोहम्मद के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	6.19	3.095
3	तदैव	तदैव	मो० कृष्णानगर में दुर्गा मंदिर से विरेन्द्र कुमार मिश्र के मकान होते हुए पी०इ०ल्ल०ड०० में डोँ तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	15.12	7.56
4	तदैव	बांसी	प्रतापनगर वार्ड में रामअवध के मकान से सियाराम के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	11.80	5.90
5.	तदैव	तदैव	आजादनगर वार्ड में दुर्कश के मकान से नन्दकिशोर के मकान तक इण्टरलाकिंग नाली व सी०सी० कवर निर्माण कार्य।	18.39	9.195
6	सिद्धार्थनगर	न०पा०, बढ़नी	वार्ड न० ०३ के अंतर्गत मो० लोहियानगर में मनोज के प्लाट से भरत के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	16.31	8.155
7	तदैव	तदैव	वार्ड न० ०४ के अंतर्गत मो० लोहियानगर में छट्ठ के मकान से हरिराम के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	13.70	6.85
8	सिद्धार्थनगर	न०प०, इमरियागंज	बस्ती-इमरियागंज रोड से खैर टेक्निकल के पीछे जावेद के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	15.59	7.795
9	तदैव	तदैव	वार्ड न० ०६ के अंतर्गत मो० इन्दिरानगर में बैदौला चौराहे पर रमेश सोनी के घर से न०पा० सीमा तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	29.67	14.835
10	सिद्धार्थनगर	न०पा०प०, सिद्धार्थनगर	पूरब पडाव वार्ड में प्रदीप शर्मा के घर से राजकीय कन्धा इण्टर कालेज तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	19.01	9.505
11	तदैव	तदैव	पूरब पडाव वार्ड में संजय के घर से पप्पू के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	14.99	7.495
12	तदैव	तदैव	बुद्ध नगर वार्ड में पिच रोड से डिग्गी कालेज तक तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	19.80	9.90